

[2024] 4 एस.सी.आर. 48:2024 आईएनएससी 258

बल्लु @बलराम @बालमुकुंद एवं अन्य

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील क्रमांक 1167/2018)

02 अप्रैल 2024

[न्यायमूर्ति बी.आर. गवई एवं संदीप मेहता]

विचारणीय बिंदु

क्या उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता संख्या 1 और 2 को दोषमुक्त करने के निर्णय को पलटना तथा उन्हें क्रमशः धारा 302 और 201/34 भारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत दोषी ठहराना तथा तदनुसार दंडादेश देना न्यायोचित है; क्या अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर दिया; क्या अपीलार्थीगण अपराध करने के दोषी पाए गए?

शीर्ष टिप्पणियाँ

दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील - हस्तक्षेप - जब चलन योग्य न हो:

अवधारित: अभियोजन मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है - विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अन्वेषण अधिकारी एवं अन्य साक्षीगण के साक्ष्य को खारिज करने के ठोस एवं अकाट्य कारण भी दिए हैं न्यायाधीश ने विस्तृत विश्लेषण कर यह पाया की अपीलार्थी दोषी नहीं हैं - विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्ष अभिलेखों पर उपलब्ध सामग्री की सटीक विवेचना पर आधारित है - विद्वान विचारण न्यायालय की विस्तृत विवेचना को उच्च न्यायालय की विद्वान खंडपीठ ने पूर्ण रूप से सतही तौर पर खारिज कर दिया है - यह उच्च न्यायालय अपि ने इस न्यायालय द्वारा दोषमुक्त की अपील में हस्तक्षेप करने के संबंध में विधि का उल्लेख किया है परंतु उच्च न्यायालय ने इससे पूर्णतः अनुचित रूप से ग्रहण किया है एवं साक्ष्य के उचित विश्लेषण के आधार पर दिए गए निर्णय को केवल शंकाओं एवं अनुमान के आधार पर पलटा है - उच्च न्यायालय से दण्डिक अपील में तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब वह इस निष्कर्ष पर पहुँच जाए कि विचारण न्यायालय का निष्कर्ष शंकाओं एवं अनुमान पर आधारित था - विद्वान विचारण न्यायालय का निर्णय शंका या अनुमान पर

आधारित नहीं था - प्रत्येक मामले में जबकि दो दृष्टिकोण संभव हैं और विचारण न्यायालय ने अधिक संभाव्य माना है उच्च न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि विद्वान विचारण न्यायालय काम मत अनुमान पर आधारित एवं असंभव है - अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे दोषी की परिस्थितियों को स्थापित करने में असफल रहा एवं परिस्थितियों की श्रृंखला जो कि अन्वेष्टित थी उससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अभियुक्तगण दोषी है - उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को चलन योग्य नहीं पाते हुए अपास्त एवं खारिज किया जाता है - अभियुक्तगण दोषमुक्त किए जाते हैं [कर्णिका 6,12-14,16,19-23]

साक्ष्य - परिस्थितिजन्य साक्ष्य - परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध करने के विषय में विधि - चर्चित

उद्धृत न्याय दृष्टांत

शरद बिरदीचंद शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य [\[1985\] 1 एस.सी.आर 88: \(1984\) एस.सी.सी. 116-पर आधारित](#)

सान्दर्भिक प्रकरण: साधु शरण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [\[2016\] 1 एस.सी.आर 913: \(2016\) 4 एस.सी.सी. 397](#); : (2016) 12 एस.सी.सी. 665 [\[2016\] 2 एस.सी.आर 203](#)

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860; दंड प्रक्रिया संहिता 1973; भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872.

कीवर्ड की सूची

दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील; परिस्थितिजन्य साक्ष्य; परिस्थितियों की श्रृंखला जो कि अन्वेष्टित नहीं ;मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं हुआ; शंकाओं एवं अनुमान; निष्कर्ष विकृत या असंगत; दो दृष्टिकोण संभव; विकृत या असंगत दृष्टिकोण

किससे उदभूत मामला

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील क्रमांक 2018 का 1167 मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा दण्डिक अपील क्रमांक 261/1994 दिनांक 6 अप्रैल 2018 में पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध

पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण

वरुण ठाकुर, रामकरण, सुश्री श्रद्धा सरन, ब्रजेश पांडेय, वरिंदर कुमार शर्मा-
अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्तागण

पशुपतिनाथ राजदान, विकास बंसल, मिर्जा कायेश बेग, सुश्री मैत्रेयी जगत जोशी,
आस्तिक गुप्ता, सुश्री आकांक्षा तोमर, अरघा रॉय, सुश्री ओजस्विनी गुप्ता, सुश्री रूबी -
प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्तागण

बल्लू उर्फ बलराम उर्फ बालमुकुंद एवं अन्य

निर्णय

निर्णय न्यायमूर्ति बी.आर. गवई

1. प्रस्तुत अपील मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा दण्डिक अपील क्रमांक 261/1994 दिनांक 6 अप्रैल 2018 में पारित निर्णय के विरुद्ध जिसमें विद्वान द्वितीय श्रेणी सत्र न्यायाधीश दमोह (एतस्मिन् पश्चात् 'विद्वान विचारण न्यायालय' के रूप में संदर्भित) द्वारा एस टी क्रमांक 160/1992 दिनांक 26 मार्च 1994 में अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 34 (एतस्मिन् पश्चात् भारतीय दंड संहिता के रूप में संदर्भित) में दोषमुक्त करने के विरुद्ध अनुज्ञात की गयी है। उच्च न्यायालय ने विद्वान विचारण न्यायालय को उलटते हुए अपीलार्थी क्रमांक 01 (बल्लू चौरसिया उर्फ बलराम उर्फ बालमुकुंद) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 201 सहपठित धारा 34 एवं अपीलार्थी क्रमांक 02 (हल्की बहू उर्फ जमनाबाई उर्फ जमनाबाई) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 एवं 201 के तहत एवं धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत सश्रम आजीवन कारावास एवं 1000 रुपये के जुर्माना से दंडित किया है एवं जुर्माना संदाय करने को व्यतिक्रम होने पर तीन माह का सश्रम कारावास का दंडादेश पारित किया है। धारा 201 एवं सहपठित धारा 34 के संदर्भ में उच्च न्यायालय ने सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹3000 का जुर्माना अधिरोपित किया जुर्माना संदाय करने से व्यतिक्रम होने पर पांच माह का सश्रम कारावास का दण्डादेश पारित किया है।

2. अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि:

2.1 मृतक महेश साहू का अनीता से प्रेम संबंध था, जो प्रतिवादी क्रमांक 2 जमना बाई (अपीलकर्ता क्रमांक 2) की पुत्री तथा बल्लू उर्फ बलराम उर्फ बालमुकुंद (अपीलकर्ता क्रमांक 1) की बहन है। अनीता और मृतक महेश साहू करीब आठ महीने तक आगरा में रहे और फिर दमोह लौट आए तत्पश्चात अनीता का विवाह किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्पन्न हुआ जिसके पश्चात भी मृतक महेश साहू एवं अनीता परस्पर संपर्क में थे इस शत्रुता के कारण 7 जून 1992 को लगभग रात्रि 11:00 बजे अपीलार्थी गण ले उसके सामान्य आशय के अग्रसर में मृतक की मृत्यु कारित की | अभियोजन गोविंद (अ.सा.07) के साक्ष्य पर निर्भर करता है जिसने अपीलार्थी क्र. 01 को मृतक के शरीर को उसके घर से घसीटते हुए देखा साक्षी ने उनकी माँ अपीलार्थी क्रमांक 02 को भी देखा जो उसके घर के दरवाजे पर खून के धब्बे को धो रही थी |

2.2 जब बेनी प्रसाद उर्फ बेनीप्रसाद (अ.सा. 01) एवं सुमित्रा बाई (अ.सा. 06) जो कि मृतक पिता एवं माता है को घटना के विषय में जानकारी हुई तो वे घटना के स्थान पर आये अ.सा.1 की मौखिक सूचना के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी.1) दमोह पुलिस स्टेशन में पंजीकृत की गई |

2.3 अन्वेषण पूर्ण होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग की न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया चूँकि मामला विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अनन्यतः यह विचारणीय है इसे विद्वान विचारण न्यायालय को उपार्पित किया गया |

2.4 विचारण के अंत में विद्वान विचारण न्यायालय में अभियुक्त गण को दोषमुक्त कर दिया क्योंकि अभियोजन मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है इसके विरुद्ध अभियोजन के द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की |

2.5 उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को निरस्त कर दिया |

2.6 इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है |

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री वरुण ठाकुर एवं प्रत्यर्थी-(राज्य) की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पशुपति राजदान को सौंपा गया ।

4. विद्वान अधिवक्ता श्री वरुण ठाकुर ने व्यक्त किया है कि उच्च न्यायालय ने दोषमुक्त के तर्कसंगत निर्णय को पलटने में घोर त्रुटि की है उन्होंने विस्तृत कारण उपदर्शित करते हुए कहा कि विद्वान विचारण न्यायालय ने पाया कि अभियोजन मामले को अभियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने सतही तौर पर मामले के निर्णय में हस्तक्षेप किया है उन्होंने कहा कि वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है एवं जब तक अभियोजन परिस्थितिजन्य साक्ष्य श्रृंखला को युक्तियुक्त सन्देह पर साबित नहीं करता, विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना एवं अभियुक्तगण को सिद्धदोष ठहराना अनुज्ञात नहीं है उन्होंने आगे कहा कि दोष मुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील का क्षेत्र सीमित होता है जब तक यह साबित नहीं कर दिया जाता कि मामला विकृति या असंभव है अपील न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करने के लिए अनुज्ञात नहीं है ।

5. श्री पशुपति नाथ राजदान, प्रत्यर्थी -राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता इसके विपरीत, यह कहते हैं कि विद्वान ट्रायल जज ने सबूतों को पूरी तरह से गलत पढ़ा। बेनी प्रसाद (अ.सा.-1) और सुमित्रा बाई (अ.सा.-6) के साक्ष्य और चिकित्सीय साक्ष्यों के साथ मिलकर यह दर्शाता है कि अभियोजन पक्ष ने मामले को युक्ति-युक्ति संदेह से परे साबित कर दिया है।

6. निःसंदेह अभियोजन मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध करने के विषय में विधि को इस न्यायालय द्वारा [शरद विरदीचन्द शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य](#)¹ के मामले में स्पष्ट किया था, जिसमें न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि -

“152. उच्च न्यायालय द्वारा आश्रित मामलों पर विचार करने से पूर्व हम परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित दायिद्वक मामलों की प्रकृति, विशेषता एवं आवश्यक तत्वों के आधार पर कुछ निर्णयों को सुधृत करना चाहेंगे। इस न्यायालय का सबसे आधारभूत एवं मूल निर्णय है -

[हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश](#) [(1952) 2 SCC 711 AIR 1952 SC 343 ; 1952 SCR 1091 : 1953 Cri. LJ 129]

1[1985] 1 SCR 88: (1984) 4 SCC 116 : 1984 INSC 121

इस मामले को एकरूपता से पश्चात्कर्ती अनेक निर्णयों में अपनाया गया है। **उदाहरणार्थ:** तुफैल (उर्फ) सिम्मी बनाम उत्तर प्रदेश [(1969)3 SCC 198 : 1970 SCC (Cri) 55] एवं रामगोपाल बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1972)4 SCC 625 : AIR 1972 SC 656] यह आवश्यक है कि न्यायमूर्ति महाजन ने [हनुमंत \[\(1952\) 2 SCC 711 AIR 1952 SC 343 ; 1952 SCR 1091 : 1953 Cri. LJ 129\]](#) के मामले में प्रतिपादित किया -

"यह विदित है की उन मामलो में जिनमे साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का है, वे परिस्थितिया जिनसे दोषसिद्धता का निष्कर्ष निकलता है उन्हें सर्वप्रथम पूर्णतः समापित होना चाहिए, एवं सभी तथ्य अभियुक्त की दोषिता की परिकल्पना के सुसंगत होना चाहिए। पुनः परिस्थितिया निश्चयक प्रकृति एवं प्रवृत्ति की हो जिनमे सभी परिकल्पनाएँ सिवाय अभियुक्त क दोषित हो जिसे सिद्ध किया जाना है उन्हें अपवर्जित करे। अन्य शब्दों में यह साक्ष्यों की श्रृंखला इस प्रकार पूर्ण होनी चाहिए की उसमे इस निष्कर्ष का जो की अभियुक्त की निर्दोषिता से सुसंगत है कोई भी युक्तियुक्त आधार न हो और वह इस प्रकार की होना चाहिए की सभी मानवीय सम्भावनाओ क भीतर यह उपदर्शित हो की कार्य अभियुक्त ने ही किया है।"

153. इस मामले के सुक्ष्म विश्लेषण से यह उपदर्शित होता है की अभियुक्त के विरुद्ध मामला स्थापित होने से पूर्व निम्नलिखित शर्तों का पालन अनिवार्य है -

1) वे परिस्थितियाँ जिनसे अभियुक्त की दोषिता का निष्कर्ष निकालना है उन्हें पूर्णतः स्थापित होना चाहिए।

यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि इस न्यायालय ने यह प्रकट किया है की सम्पृक्त परिस्थितियाँ आवश्यक रूप से इस्थापित होनी चाहिए न कि वैकल्पिक रूप से। यहाँ केवल व्याकरणिक अंतर नहीं अपितु विधिक अंतर है। साबित किया जा सकता है या साबित किया ही जाना चाहिए के मध्य जैसा कि इस न्यायालय ने **शिवाजी शाहब राव बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1973)2 SCC 793 : 1973 SCC (cri) 1033 : 1973 Cri LJ 1783]** जिसमे **[SCC para 19, p.807: SCC (Cri) p. 1047]** यह अवलोकन किया गया-

"निश्चित तौर पर ही यह प्राथमिक सिद्धांत है की अभियुक्त को न्यायालय में दोषी सिद्ध किया ही जाना चाहिए न की सिद्ध किया ही जाये के मध्य मानसिक अंतर स्पष्ट है जो की अनुमान क स्पष्ट निष्कर्ष में भेद करता है। "

2) जो तथ्य स्थापित किये हैं वे दोषिता की परिकल्पना से सुसंगत होना चाहिए अर्थात वे तथ्य किसी अन्य परिकल्पना को स्पष्ट नहीं करते सिवाय की अभियुक्त दोषी है, 12.1 बेनी प्रसाद (अ.सा.01) जो कि मृतक का पिता है ने अभिकथित किया कि जब उसने अपने पुत्र को रात्रिभोज करने के लिए पुकारा तब वह पप्पू ताम्रकार और अन्य दो लड़कों के साथ चौक पर खड़ा था। महेश साहू ने कहा कि वह बाद में आएगा तब बेनी प्रसाद अपने घर चला गया और गया। इसके पश्चात रात्रि लगभग 11:45 बजे एक लड़का बुलाने आया और कहा कि बल्लू चौरसिआ (अपीलार्थी क्रमांक 1), संतोष चौरसिआ और अन्य व्यक्ति महेश साहू को मार रहे हैं। यह सुनकर वह बल्लू चौरसिया की घर की ओर चड़्डी और बनियान में दौड़ा, उसने देखा कि बल्लू चौरसिया और संतोष चौरसिया और उसके दो भाई महेश साहू को मृत अवस्था में घसीट रहे हैं और उसके शव को घर से 10 फीट दूर रख दिया। इसके बाद अभियुक्त बल्लू चौरसिया अपने घर क भीतर चला गया। बेनी प्रसाद (अ. सा.1) उस जगह गया जहाँ महेश साहू का शव पड़ा था। उन्होंने उसे मृत पाया। उसी समय सुमित्राबाई, मृतक की माँ (अ. सा.6), भाई और उसने देखा कि जमुना बाई (अपीलार्थी क्रमांक 2) जो कि अभियुक्त बल्लू चौरसिया की माँ है , दरवाजे पर लगे हुए खून को साफ़ कर रही थी।

3) परिस्थितियाँ निश्चयक प्रकृति एवं प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

4) जिस परिकल्पना को साबित किया जाना है इसके आलावा प्रत्येक सम्भावना को निष्काषित करना चाहिए,

5) साक्ष्यों की श्रृंखला इस प्रकार पूर्ण चाहिए कि किसी भी प्रकार का अभियुक्त आधार अभियुक्त की निर्दोषिता से सुसंगत है, नहीं होना चाहिए।

154. में पाँच स्वर्णिम सिद्धांत अगर हम कहे पंचशील का निर्माण करते हैं जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य को साबित करने के लिए आवश्यक है।

7. यह स्पष्ट रूप से उपदर्शित होता है की अभियोजन के लिए यह आवश्यक है कि वे परिस्थितियाँ जिनसे का निष्कर्ष निकला जाना है वे पूर्णतः स्थापित हो। न्यायालय यह प्रतिपादित किया कि यह प्राथमिक सिद्धांत कि अभियुक्त की 'दोषिता सिद्ध की ही जानी चाहिए ' न कि दोषिता सिद्ध की जा सकती है ' जो तथ्य साबित किये जाते हैं उनसे अभियुक्त की दोषिता सिद्ध हो। यह अभिनिर्धारित किया गया कि इसमें व्याकरणिक अंतर नहीं अपितु विधिक अंतर है। अभियुक्त की दोषिता से भिन्न अन्य और कोई परिकल्पना अर्थात अभियुक्त

की निर्दोषिता नहीं साबित होना चाहिए। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि परिस्थितियाँ इस प्रकार की होनी चाहिए कि इससे हर संभव परिकल्पना सिवाय जो की साबित की जानी है निष्काषित हो। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि साक्ष्यों की श्रृंखला जिससे अभियुक्त की दोषिता सुसंगत है , पूर्ण होना चाहिए।

8. यह स्थापित है कि संदेह चाहे कितने भी पुष्ट आधारों पर आश्रित क्यों न हो, वह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता। किसी अभियुक्त को संदेह के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता चाहे वह कितना भी पुष्ट क्यों न हो। अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक वह युक्तियुक्त संदेह से परे दोषी साबित न हो।

9. इससे अतिरिक्त यह भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वर्तमान मामला दोषमुक्ति उलटने का है। अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के सम्बन्ध में विधि पूर्णतः स्पष्ट है कि जब तक दोषमुक्ति का निष्कर्ष विकृत या असंगत न हो तब तक इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। यद्यपि इस विवादक पर निर्णयों की श्रृंखला है, हम केवल दो ही निर्णयों का उल्लेख करेंगे जिसमें अच्छा न्यायालय ने स्वयं विवादित निर्णय दोहराया है। ये निम्नलिखित हैं :-

“13. साधु शरण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2016) 4 SCC 397 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना है -

“दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में जहाँ अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषिता की शरण की प्रबल किया जाता है अपीलीय न्यायालय अभियुक्त के दोषमुक्ति के निर्णय में तभी हस्तक्षेप करेगा जब तथ्य एवं विधि में विकृति हो, यद्यपि हमारा मानना है कि न्यायालय का सर्वोपरि विमर्श है की न्यायालय सारवान न्याय एवं न्याय के उद्देश्य को विफल होने से प्रवारित करना है जो किसी अभियुक्त को दोषमुक्त से दोषसिद्ध करने से उत्पन्न होसकता है, अपीलीय न्यायालय की शक्ति की सीमाओं के सम्बन्ध में स्थापित सिद्धांतों को प्रतिपादित समय अपीलीय न्यायालय पर उस साक्ष्य पर पुनर्विचार एवं पुनः अवलोकन करने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है जिस पर दोषमुक्ति का आदेश आधारित है। ”

14. इसी प्रकार हरलजन भला तेजा बनाम गुजरात राज्य (2016) 12 SCC 665 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि -

“निसंदेह जहाँ अभिलेख के साक्ष्यों का मूल्यांकन पर दो दृष्टिकोण संभव है एवं विचारण न्यायालय ने दोषमुक्ति पर विचार किया है, अपीलीय न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तथापि इसमें यह

अभिलेख नहीं है की सभी मामलो में जिनमे विचारण न्यायालय ने व्यक्ति को दोषमुक्त किया है उनमे अपीलीय न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए चाहे निर्णय विकृत ही क्यों न हो अपीलीय न्यायालय इसके लिए सर्वदा स्वतंत्र है जबकि विचारण न्यायालय का मत अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों के पुनर्मूल्यांकन के पश्चात उचित निष्कर्ष व्यक्त करे एवं यदि अभिलेख पर युक्तियुक्त संभावनाओं के परे साबित हो जाता है तब अभियुक्त की सिद्धिदोष ठहराए।"

10. उर्पयुक्त विधि स्थापित सिद्धांतों के अलोक में हमने वर्तमान मामले का परीक्षण किया है।

11. यह निर्विवाद है कि मृतक की मृत्यु मानववध है इसमें चिकित्स्कीय साक्ष्य का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। एक मात्र प्रश्न शेष है वह यह है कि क्या अभियोजन ने मामला युक्तियुक्त संभावनाओं के परे साबित किया और क्या अपीलार्थी अपराध करित करने के दोषी हैं।

12. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने विस्तृत विश्लेषण कर यह पाया की अपीलार्थी दोषी नहीं है। हमे विद्वान विचारण न्यायाधीश के निष्कर्ष की निम्नानुसार परीक्षित किया है :-

12.1 बेनी प्रसाद (अ.सा.01) जो कि मृतक का पिता है ने अभिकथित किया कि जब उसने अपने पुत्र को रात्रिभोज करने के लिए पुकारा तब वह पप्पू ताम्रकार और अन्य दो लड़कों के साथ चौक पर खड़ा था। महेश साहू ने कहा कि वह बाद में आएगा तब बेनी प्रसाद अपने घर चला गया और गया। इसके पश्चात रात्रि लगभग 11:45 बजे एक लड़का बुलाने आया और कहा कि बल्लू चौरसिया (अपीलार्थी क्रमांक 1), संतोष चौरसिया और अन्य व्यक्ति महेश साहू को मार रहे हैं। यह सुनकर वह बल्लू चौरसिया की घर की ओर चड़्ढी और बनियान में दौड़ा, उसने देखा कि बल्लू चौरसिया और संतोष चौरसिया और उसके दो भाई महेश साहू को मृत अवस्था में घसीट रहे हैं और उसके शव को घर से 10 फीट दूर रख दिया। इसके बाद अभियुक्त बल्लू चौरसिया अपने घर के भीतर चला गया। बेनी प्रसाद (अ. सा.1) उस जगह गया जहाँ महेश साहू का शव पड़ा था। उन्होंने उसे मृत पाया। उसी समय सुमित्राबाई, मृतक की माँ (अ. सा.6), भाई और उसने देखा कि जमुना बाई (अपीलार्थी क्रमांक 2) जो कि अभियुक्त बल्लू चौरसिया की माँ है, दरवाजे पर लगे हुए खून को साफ़ कर रही थी।

12.2 बेनी प्रसाद ने अभिकथित किया कि वर्ष 1991 के अंतिम माह (दिसंबर 1991) में उसका पुत्र साक्षात्कार के प्रयोजन के लिए भोपाल गया था और उसके बाद लगभग 8 माह तक उसका कोई समाचार नहीं मिला था तत्पश्चात वर्ष 1992 के चतुर्थ माह (अप्रैल 1992) में इसके पुत्र का पुत्र इस सूचना के साथ कि वह आगरा में कार्य कर रहा है और उसने अनीता नामक कन्या से विवाह कर लिया है जो कि अपीलार्थी क्र. 01 बल्लू चौरसिया की बहन है । तत्पश्चात मुकेश साहू एवं अनीता 1992 के चतुर्थ माह (अप्रैल 1992) में दमोह लौट आये और अनीता ने अपने घर में रहना आरम्भ कर दिया, तत्पश्चात अनीता का विवाह उसके भाई बल्लू चौरसिया (अपीलार्थी क्रमांक 1) द्वारा उज्जैन में करवा दिया गया तत्पश्चात अनीता ने अपना ससुराल छोड़ दिया और महेश साहू और अनीता के मध्य पत्राचार आरम्भ हुआ, उसने यह अभिकथित किया है कि यह पत्राचार बल्लू चौरसिया (अपीलार्थी क्रमांक 1) को पसंद नहीं था और उसने महेश को मृत्यु कारित करने की धमकी देना आरम्भ कर दिया ।

12.3 विद्वान विचारण न्यायालय ने यह पाया कि बेनी प्रसाद (अ.सा.01) के द्वारा विचारण न्यायाधीश के समक्ष दिये गये कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दिए गये कथनों (प्र.डी.01) से पूर्णतः विपरीत है , यह पाया गया कि बेनी प्रसाद (अ.सा. 01) ने न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य के कथनों में पूर्णतः सुधार कर लिया है । विद्वान विचारण न्यायालय ने यह भी पाया कि बेनी प्रसाद (अ.सा. 01) का व्यवहार असामान्य था । बेनी प्रसाद (अ.सा.01) ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि महेश बाबू का शव घनी बस्ती में पड़ा हुआ था और आसपास घरों के लोग उसे घेरे हुए थे और वह पर नगरपालिका की डिस्पेंसरी थी, गौरीशंकर मंदिर से उसके घर की दूरी लगभग 9 फुट थी । विद्वान विचारण न्यायालय ने यह भी पाया कि उसी डिस्पेंसरी में पुलिस चौकी स्थित थी जो कि हवालदार एवं आरक्षको द्वारा संचालित थी। विद्वान विचारण न्यायालय ने यह पाया कि बेनी प्रसाद (अ.सा. 01) के द्वारा मृत शरीर को घसीटे जाने के विषय में किसी व्यक्ति विशेषतः पुलिस चौकी जो कि घटना स्थल के समीप स्थित है न बताया जाना पूर्णतः अस्वाभाविक है । विद्वान विचारण न्यायालय ने यह पाया कि जब मृतक का पंचनामा (प्र.पी.02) के द्वारा बनाया जा रहा था उसमें मृत्यु कारित करने वाले व्यक्तियों के नाम नहीं बतलाये गये हैं । बेनी प्रसाद (अ.सा.01) के द्वारा इसका स्पष्टीकरण यह दिया गया कि पुलिस ने उससे इस सम्बंध में न पूछा नहीं । विद्वान विचारण न्यायाधीश ने यह भी पाया कि बेनी प्रसाद (अ.सा.01) ने अपने साक्ष्य में यह स्वीकार किया था कि पंचनामा के समय वहां पर करीब 150 व्यक्ति उपस्थित थे ।

12.4 श्रीमती सुनीता बाई (अ.सा.06) जो कि मृतक की माँ है ने भी मृतक महेश साहू एवं सुनीता का सम्बंध के बारे में अभिकथित किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 1/बल्लू चौरसिया ने मृतक को घटना से 1 दिन पूर्व ही धमकी दी थी उसने एक बालक के बारे में सूचित किया जो कि करीब रात्रि 11:45/12:00 बजे सूचित करते हुए आया कि महेश बाबू और बल्लू चौरसिया के मध्य झगड़ा हो रहा है जब वह अभियुक्त के घर गई तो उसने देखा कि बल्लू चौरसिया, उसका बड़ा भाई और मझिला भाई और अभियुक्त जमना बाई उसके पुत्र को घसीट रहे थे और उसके बड़े पिताजी के घर के सामने छोड़ दिया था |विद्वान विचारण न्यायाधीश ने साक्षी के साक्ष्य में पाया कि उस साक्षी का साक्ष्य पूर्ण रूप से बदला हुआ है |विद्वान विचारण न्यायाधीश ने यह भी पाया कि साक्षी के अभिसाक्ष्य में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 (प्र.डी 02)के कथनों से पूर्णतः विरोधाभासी है |विद्वान विचारण न्यायाधीश ने इस दोनों साक्षियों/मृत के माता-पिता के साक्ष्यों पर विश्वास नहीं किया है |

12.5 विद्वान विचारण न्यायाधीश ने यह पाया कि अभियोजन ने राजू (अ.सा.04), धर्मेन्द्र सिंह (अ.सा.05) गोविंद (अ.सा.03) के साक्ष्य के अभियुक्त को मृतक के साथ अंतिम बार देखे जाने की परिस्थितियों के संबंध में विश्वास किया तत्पश्चात ये सभी तीनों साक्षी पक्षद्रोही हो गए एवं अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया |

12.6 विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अभियोजन द्वारा विश्वस्त उन परिस्थितियों को भी नकारा में जिनमें अभियुक्त बल्लू चौरसिया ने दोनों हाथों के नाखून काटने एवं नाखूनों में मृतक महेश साहू का खून पाया गया था |विद्वान विचारण न्यायाधीश ने यह भी पाया कि नाखून घटना से छह दिवस पश्चात काटे गए थे अभियोजन ने रक्तरंजित कपड़ों एवं चाकू पर महेश साहू की खून पाए जाने पर भी विश्वास किया विद्वान विचारण न्यायाधीश ने यह पाया कि उक्त परिस्थितियों में भी अभियोजन के मामले में सहायक नहीं थी क्योंकि यह उपदर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि इन वस्तुओं पर पाया गया रक्त मानव रक्त था |

12.7 जहाँ तक कि अपीलार्थी क्रमांक 01 की माँ जमुना बाई के संबंध में परिस्थितियों का प्रश्न है विद्वान विचारण न्यायाधीश ने पाया कि स्वतंत्र साक्षीगण पक्षद्रोही हो गए हैं इस संबंध में केवल एस. के. बेनर्जी उर्फ सुबन्त बनर्जी (अ.सा.15)अन्वेषण अधिकारी हैं |

12.8 विद्वान विचारण न्यायाधीश ने पाया की राजेश कुमार (अ.सा.14) जो कि पंचसाक्षी है उसने अपनी साक्ष्य में यह अभिकथित किया है कि मृतक उसका चचेरा भाई है और उसने एस के बनर्जी अन्वेषण अधिकारी(अ.सा.15) के निर्देशों के अनुसरण में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय ने यह पाया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के ज्ञापन एवं पश्चातवर्ती बरामदगी के संबंध में परिस्थितियां भी युक्तियुक्त संदेश से परे साबित नहीं हो पाई है । विद्वान विचारण न्यायाधीश ने तत्पश्चात पाया की यद्यपि पंचशाला से यह उपदर्शित हो रहा है कि विभिन्न स्थानों पर खून पाया गया परन्तु उन्होंने नमूनों को एकत्रित करने का प्रयत्न नहीं किया न ही इसका स्पष्टीकरण दिया है की क्यों उसने कथित रक्त के नमूने एकत्रित नहीं किया ।

12.9 विद्वान विचारण न्यायालय ने यह पाया कि अभियुक्त के ज्ञापन जो कि 14 जून 1992 को किया गया के आधार पर (प्र.पी.14) खुली जगह से उसी कमरे में चाकू बरामद की गई जैसा कि पंचनामा(प्र.पी.11) में वर्णित था । विद्वान विचारण न्यायालय ने यह पाया कि अगर घटना के पश्चात अगले दिन ही अन्वेषण अधिकारी द्वारा कर कमरे का निरीक्षण किया लेकिन उसे चाकू नहीं मिली परंतु पश्चातवर्ती अवसर पर उसी कक्ष में चाकू की बरामदगी यह बनावटी प्रतीत होता है ।

12.10 विद्वान विचारण न्यायाधीश ने यह भी पाया कि घटना 7 जून 1992 में लगभग मध्यरात्रि 12:00 बजे की है इसे अन्वेषण अधिकारी को 12:40 बजे सूचित किया गया , अभियुक्त व्यक्तियों को 15 जून 1992 को गिरफ्तार किया गया यह अभियोजन की मामले पर संदेह उत्पन्न करता है यह कि तब जब घटना स्थल और पुलिस स्टेशन की दूरी एक से डेढ़ किलोमीटर ही है ।

13. उक्त बिंदु जो विद्वान विचारण न्यायाधीश के निर्णय से निकले हैं उसने यह स्पष्ट होता है कि विद्वान विचारण न्यायाधीश ने साक्ष्यों पर अत्यंत विस्तार से विचार करने का विस्तृत अभ्यास किया है इसलिए हम अपने निर्णय को और अधिक सूक्ष्म विवरण से भारित नहीं करेंगे उपरोक्त बिंदु इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पर्याप्त से अधिक है की अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे दोषी की परिस्थितियों को स्थापित करने में असफल रहा एवं परिस्थितियों की श्रृंखला जो कि अन्वेषित थी उससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अभियुक्तगण दोषी है यह मामले में कोई झिझक नहीं है कि विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्ष अभिलेखों पर उपलब्ध सामग्री की सटीक विवेचना पर आधारित है ।

14. विद्वान विचारण न्यायालय की विस्तृत विवेचना को उच्च न्यायालय की विद्वान खंडपीठ ने पूर्ण रूप से सतही तौर पर खारिज कर दिया है जहाँ तक कि बेनी प्रसाद (अ.सा. 01) एवं सुमित्रा बाई (अ.सा. 06) के साक्ष्य का प्रश्न है उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस प्रकार कहा-

" बेनीप्रसाद (प्र.सा. 01) और सुमित्रा बाई(प्र.सा. 06) के संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने की पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उनके न्यायालयीन अभिकथनों में सुधार एवं अतिशयोक्ति है परंतु इस आधार पर उसके संपूर्ण साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि सिद्धांत "एक में मिथ्या सभी में मिथ्या" आपराधिक मामलों में लागू नहीं होता | प्रायः साक्षीगण इस डर में रहते हैं कि अगर उनके अभिसाक्ष्य पर न्यायालय ने विश्वास नहीं किया तब मुख्य अपराधी छूट सकता है तथापि वो सामान्य अपने कथनों में एक सीमा तक सुधार कर लेते हैं |"

15. एस. के. बनर्जी /अन्वेषण अधिकारी (आई. ओ.) जिस पर विद्वान विचारण न्यायाधीश ने पुष्ट आधारों पर अविश्वास व्यक्त किया था उच्च न्यायालय की विद्वान खंडपीठ ने इस पर परिच्छेद 12 में निम्नानुसार किया है |

"12. हमें आई ओ के साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं मिला है जिसने निष्पक्षता से अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाया उसकी प्रतिउत्तरदाताओ (अभियुक्त) के साथ कोई रंजिश या मृतक के साथ कोई संबंध नहीं था इसलिए उसकी गवाही विश्वसनीय है हम उसकी गवाही पर विश्वास करते हैं इसे केवल शंकाओं एवं अनुमान के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता |"

16. हम यह पाते हैं कि विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अन्वेषण अधिकारी एवं अन्य साक्षीगण के साक्ष्य को खारिज करने के ठोस एवं अकाट्य कारण भी दिए हैं हमारा मत यह है कि उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य को शंकाओं एवं अनुमान के आधार पर खारिज करने में पूर्णतः त्रुटि की है जबकि उच्च न्यायालय का निर्णय ही अनुमान एवं शंकाओं पर आधारित है |

17. इस न्यायालय के उपरोक्त दो निर्णयों को पुनः प्रस्तुत करने के पश्चात दोषमुक्त किए जाने के विरुद्ध अपील की सीमा पर स्थापित विधि का अवलोकन करते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस प्रकार कहा-

"15. उपरोक्त वर्णित अवलोकन में हमने पाया कि अपेक्षित निर्णय को पलटने के लिए पर्याप्त आधार है डॉक्टर जे पी परसाई (अ.सा. 08) ने प्रत्युत्तर दाता क्रमांक एक की

जांच की उसने शरीर पर कुछ चोटे पाई गई जिससे यह उपदर्शित होता है कि मृत्यु के पूर्व मृतक ने स्वयं को अभियुक्त से बचाने के लिए संघर्ष किया था डॉक्टर जे पी परसाई ने मृतक के दोनों हाथों के नाखूनों का नमूना लिया था और उसे एफ.एस.एल. परीक्षण के लिए भेज दिया था ।”

18. इस पर विचार करने की पश्चात उच्च न्यायालय ने पाया कि वस्तुएँ जो कि एस. के. बेनर्जी अन्वेषण अधिकारी ने बरामद की थी उसमें एफ.एस.एल. रिपोर्ट के अनुसार खून पाया गया था उच्च न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त ने इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि वस्तुओं पर खून के धब्बे कैसे आए उच्च न्यायालय ने यह पाया कि

“18. प्रत्यर्थी क्रमांक एक ने वस्तुओं पर खून के धब्बों के पाए जाने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया अभियुक्त के घर से घटनास्थल तक पाए गए खून के धब्बे और उस सामान पर जहाँ मृतक पड़ा हुआ पाया गया था दोनों के मध्य स्पष्ट कड़ी है यह स्थापित करता है कि प्रति उत्तरदाताओं अभियुक्तगण ने मृतक महेश की मृत्यु कारित की क्योंकि उसके अनीता के साथ प्रेम संबंध थे उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी जेब से अनीता द्वारा लिखित प्रेम पत्र पाए जिससे यह उप दर्शित होता है कि अनीता अपने परिवारजनों की इच्छा एवं सहमति के विरुद्ध मृतक के साथ रहना चाहती थी ।”

19. साक्षियों की पुनरावृत्ति के अधीन रहते हुए हम यह कहने को विवश हैं कि की उच्च न्यायालय का निर्णय पूर्णतः अनुमान एवं शंकाओं पर आधारित है यह उच्च न्यायालय अपि ने इस न्यायालय द्वारा दोषमुक्त की अपील में हस्तक्षेप करने के संबंध में विधि का उल्लेख किया है परंतु उच्च न्यायालय ने इससे पूर्णतः अनुचित रूप से ग्रहण किया है एवं साक्ष्य के उचित विश्लेषण के आधार पर दिए गए निर्णय को केवल शंकाओं एवं अनुमान के आधार पर पलटा है ।

20. उच्च न्यायालय से दाण्डिक अपील में तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब वह इस निष्कर्ष पर पहुँच जाए कि विचारण न्यायालय का निष्कर्ष शंकाओं एवं अनुमान पर आधारित था इस पर पहले ही विचार किया जा चुका है कि विद्वान विचारण न्यायालय का निर्णय शंका या अनुमान पर आधारित नहीं था ।

21. प्रत्येक मामले में जबकि दो दृष्टिकोण संभव हैं और विचारण न्यायालय ने अधिक संभाव्य माना है उच्च न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि विद्वान विचारण न्यायालय काम मत अनुमान पर आधारित एवं असंभव है ।

22. इस मामले में हमारा विचार यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के समक्ष चलन योग्य नहीं है।

23. परिणामस्वरूप हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं -:

- i. अपील अनुज्ञात की जाती है।
- ii. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा 6 अप्रैल 2018 को दाण्डिक अपील क्रमांक 261/1995 पारित निर्णय को अपास्त एवं खारिज किया जाता है।
- iii. अभियुक्तगण सभी आरोपों से दोषमुक्त किए जाते हैं अपीलार्थीगण पहले से ही जमानत पर हैं इसलिए बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं।

24. यदि कोई लंबित आवेदन है तो उसका निपटारा किया जाता है।

शीर्ष टिप्पणियाँ : दिव्या पाण्डेय

प्रकरण का परिणाम : अपील स्वीकृत।

सोनम पाण्डेय द्वारा अनुवादित।

